

कार्यालय

—: कार्यालय आदेश :—

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ1(12)एफडी/रूल्स/2005 जयपुर दिनांक 03.09.2008 के अनुसार स्थानीय कार्यालय के अधीन कार्यरत निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके आवेदन किये जाने पर **वित्तीय वर्ष** हेतु निम्नानुसार **15 दिवस** उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। इस स्वीकृति का इन्द्राज संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की मूल सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से कर दिया गया है।

क्रसं.	कार्मिक का नाम	पद	मूल वेतन	नकदीकरण हेतु स्वीकृत दिनों की संख्या	सेवा पुस्तिका में शेष दिवस
1.					
2.					
3.					

आहरण वितरण अधिकारी

.....

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी
2. संबंधित कार्मिक श्री.....
3. कार्मिक निजी पंजिका प्रति।
4. कार्यालय प्रति।

आहरण वितरण अधिकारी

.....